

दिनांक— 19.09.2016 को गोपालगंज के जीविका कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार का संबोधन

उपस्थित बिहार सरकार के माननीय जल संसाधन तथा योजना एवं विकास मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, गोपालगंज जिले के प्रभारी मंत्री और कला एवं संस्कृति विभाग के मंत्री श्री शिवचन्द्र राम जी, बिहार सरकार के मुख्य सचिव श्री अंजनी कुमार जी, अपर पुलिस महानिदेशक श्री सुनील कुमार जी, ग्रामीण विकास विभाग के सचिव श्री अरविन्द कुमार चौधरी जी, जीविका के मुख्य कार्यक्रम पदाधिकारी श्री बाला मुरुगन डी जी, जीविका के राज्य परियोजना प्रबंधक श्रीमती सीमा त्रिपाठी जी तथा मंत्रिमंडल एवं सूचना विभाग के प्रधान सचिव श्री ब्रजेश मेहरोत्रा जी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री चंचल कुमार जी, मुजफ्फरपुर प्रक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक श्री सुनील कुमार जी, सारण प्रमंडल के आयुक्त श्री नर्मदेश्वर लाल जी, सारण पुलिस उप महानिरीक्षक श्री अजीत कुमार राय जी, गोपालगंज के जिलाधिकारी श्री राहुल कुमार जी, यहाँ उपस्थित अन्य जन प्रतिनिधिगण, जीविका की दीदियों, मीडिया के प्रतिनिधिगण। गोपालगंज में कल मैंने सुबह गंडक नदी का जो खतरा कटाव का उत्पन्न हुआ था और जिस प्रकार से जल संसाधन विभाग के अधिकारियों ने अभियंताओं ने जिला प्रशासन ने सब मिलकर जो मेहनत की परिणाम स्वरूप कुछ जगहों पर तटबंध की रक्षा की जा सकी। वरना एक खतरा उत्पन्न हो गया था और ऐसे स्थिति की संभावना बढ़ती जा रही थी कि कहीं गोपालगंज शहर में पानी ना घुस जाये लेकिन उसका बड़ी मजबूती के साथ मुकाबला किया गया और वैसा नहीं हुआ, तटबंध की रक्षा की गयी। दूसरी जगहों पर तटबंध की स्थिति ऐसी थी जिस पर विशेष ध्यान दिया गया। मैंने बीच में भी प्रयास किया था उन स्थलों को देखने का लेकिन जब एक बार उसके हवाई सर्वेक्षण के लिये आना चाह रहे थे तो रास्ते में ही मौसम इतना खराब हो गया कि हेलिकॉप्टर आगे उड़ान भरने की स्थिति में नहीं था तो वापस लौटना पड़ा। तो मेरे मन में यह बात थी और अभी 15 अक्टूबर तक खतरा बरकरार रहता है, कब नेपाल में वर्षा के कारण गंडक नदी में पानी की वृद्धि हो जाय, बहाव तेज हो जाय तो वैसी स्थिति से निपटने के लिये हमेशा तैयार रहना चाहिये और इसके अलावे एक तरफ तो बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होने की संभावना रहती है और दूसरी तरफ हमने यह देखा कि गोपालगंज जिले के कुछ प्रखण्ड में कम वर्षापत हुआ जिसके चलते सूखे की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो इन दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुये हमने कल शाम में विस्तृत समीक्षा की, ताकि दोनों स्थिति में निपटने की तैयारी रहे और जिस जगह पर कम वर्षापत हुआ है वहाँ सिंचाई की व्यवस्था चाहे तो सरकारी तौर पर नलों के द्वारा सिंचाई है तो हो या जो अपने ट्यूबवेल से सिंचाई करते हैं, तो जो अपने साधनों से सिंचाई करते हैं उनके लिये डीजल की सब्सिडी है और उनके अलावे जिन गाँवों तक बिजली पहुँच गयी है, बिजली की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की जाय, इन सब चीजों पर हमने बातचीत की। और दूसरी बात मेरे मन में थी कि अभी हाल ही में पिछले महीने गोपालगंज में शहर के बगल में जहरीली शराब को पीने के कारण अनेक लोगों की मृत्यु हुई, तो यह बात सामने आयी और मीडिया में कुछ खबरें आने लगीं, हमने भी जानकारी लेने का प्रयास किया मेरे कार्यालय ने भी जानकारी लेने का प्रयास किया तो शुरू में पता चला कि शराब के कारण नहीं बल्कि अन्य कारणों से मृत्यु हुयी है। लेकिन मेरा मन संतुष्ट नहीं हो रहा था कि एक ही दिन में इतने लोगों की मृत्यु अन्य कारणों से आखिर हो कैसे रही है और मीडिया के कई लोग कई जगहों पर जाकर बातचीत कर रहे थे, उनमें से कुछ लोगों से हमारी भी बातचीत हुयी। हमने जिलाधिकारी को कहलवाया कि आप सीधे मीडिया के लोगों के पास जो बाईट है आप उनको भी सुनिये और आपको मालूम है कि रक्षाबंधन के दिन मुख्य सचिव हमारे साथ थे और रक्षाबंधन के दिन हमलोग पटना में राजधानी वाटिका में वृक्ष को राखी बाँधने जाते हैं पिछले पाँच-छह वर्षों से हमने इस कार्यक्रम की शुरुआत की है कि रक्षाबंधन के अवसर पर पेड़ को राखी बाँधते हैं।

हमारी बहने मुझको राखी बॉधती हैं और हम पेड़ को राखी बॉधने जाते हैं। उस समारोह में गये तो वहाँ पर स्वाभाविक है कि मीडिया के लोग अच्छी खासी संख्या में होते हैं, उनलोगों ने पर्यावरण आदि प्रश्नों पर पूछने के बाद इस सवाल को छोड़ा। मैंने उसी दिन कह दिया कि भले ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में यह बात नहीं आये कि जहरीली शराब पीने से मौत हुयी है, संभव है कि 48 घंटे के बाद उस की जाँच हो रही है और उसने उल्टी कर दिया है तो उसके चलते पेट खाली हो गया होगा तो पता नहीं चल सकता है इसलिये यहाँ से वेसरा टेस्ट के लिये भेजा गया। लेकिन हमने कहा कि जो साक्ष्य हैं, जो परिस्थिति थी उसके अनुरूप जो साक्ष्य हैं जिसको अंग्रेजी में सबस्टेंशियल एविडेंस कहते हैं, जो वहाँ की परिस्थिति है, कितने लोग मर रहे हैं, एक ही प्रकार से मर रहे हैं, आखिर क्या कारण है ? और उसी में मुझको पता चला कि अनेक लोगों ने अपने परिजनों को जला दिया, उनके पार्थिव शरीर को जला दिया तो फिर यहाँ के जिला प्रशासन ने बहुत प्रयास किया कि एकाद डेड बॉडी एकाद पार्थिव शरीर को जो लोग जलाने के लिये पहुँचा चुके थे वहाँ से लौटाकर उनका पोस्टमार्टम करवाया गया और फिर जैसे पता चला कि भाई जब यहाँ के जिला प्रशासन के लोग बता रहे थे कि उसका आधार था कि यहाँ के सिविल सर्जन भी वह बात बोल रहे थे और वाकिया के सिलसिले में उनको जो जानकारी मिल रही थी, तो इन सब चीजों को हमने गौर से देखा और अंत में इसलिये हमने कहा कि भाई बहुत लोग डर के मारे यह सोच कर कि शराब पिया है इसलिये उसको सजा होगी तो परिजनों को लगता होगा कि पता नहीं हमलोगों पर कोई कार्रवाई हो इस डर से भी लोग बताना नहीं चाहते हों, तो हमने पटना से ही कहा कि कोई घबड़ाये नहीं परिजन लोगों को जो चीज की जानकारी है, जो उनकी अपनी समझ है वह खुल कर बोलें और खुल कर बतायें, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी और जहरीली शराब पीने के कारण जब मृत्यु होती है तो आपको पता है कि हमने जो अप्रैल से यह कानून लागू किया है 2016 का जो संशोधन पुराने कानून में करके जो लागू किया उसमें ही इस बात का प्रावधान है कि अगर कोई जहरीली शराब बनायेगा और जहरीली शराब बनाकर लोगों को पिलायेगा तो ऐसे लोगों को उम्रकैद और फांसी तक की सजा मिल सकती है। इस तरह का शराब बनाने वाले को और पिलाने वाले को और उसमें ही हमलोगों ने प्रावधान किया है कि जो आरोपी होंगे जहरीली शराब बनाने वाले, पिलाने वाले जो आरोपी होंगे उन से पैसा वसूला जायेगा और जो पीड़ित परिवार है जिनके घर के किसी परिजन की मृत्यु हो गयी है उस स्थिति में चार लाख, गंभीर रूप से घायल होने वालों को 2 लाख और जो साधारण रूप से घायल हुये हैं उनको 20 हजार रुपये उनसे पैसा वसूल करके दिलवाया जायेगा, यह हमने कानून में प्रावधान किया है और जो नया कानून बनाया है जो 2 अक्टूबर से बापू के जन्मदिन से लागू होने वाला है, यह जान लीजिये नया कानून पास हो चुका है, उसमें भी यह प्रावधान किया गया है। तो हमने उसी समय कहा कि लोग घबड़ाये नहीं उनको तो मदद मिलेगी उन परिवारों को मदद मिलेगी इसलिये वह खुलकर बोलें और अंत में सब तरह से परिस्थिति जन साक्ष्य इन सब चीजों के अधार पर यह बात सामने आयी कि यह जहरीली शराब ही पिलाया गया था और जहरीली शराब का धंधा यहाँ होता था इसलिये बहुत कुछ पकड़ाया भी। लोगों पर केस दर्ज हुआ, लोग गिरफ्तार भी हुये और पुलिस पूरे तौर पर अनुसंधान कर रही है और यही नहीं इस कानून के अन्तर्गत उनसे जो मृत लोग हैं उनके परिजनों को चार लाख रुपये दिलवाने के लिये उनसे वसूली की कार्रवाई भी डी0एम0 ने प्रारंभ कर दी है। पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट के अन्तर्गत डी0एम0 आरोपियों से वसूल करेंगे और इस में समय लगेगा। मुझको लगा कि महीना दिन लग सकता है, 15 दिन लग सकता है, उनके प्रॉपर्टी को जब्त करके उनकी नीलामी करके पैसा वसूली करने में, इस बीच में राज्य सरकार ने निर्णय लिया विशेष तौर पर गोपालगंज के मामले में कि राज्य सरकार पहले अपने खजाने से उनको अनुग्रह अनुदान दे देगी और जो आरोपी हैं उनसे पैसा वसूल करके इसकी भरपाई कर लेगी। इसलिये कल ही डी0एम0 ने जो लोग हैं तकरीबन 12 लोगों को दे चुके हैं और चार को देने की कार्रवाई चल रही है, जो तकनीकी जरूरतें होती हैं उसको पूरा करते हुये ये देंगे और मैंने पटना

से चलते वक्त यह इच्छा प्रकट की कि जो लोग इस जहरीली शराब कांड के शिकार हुये हैं उनके परिजनों से हम मिलना चाहते हैं तो आज सवेरे हमने उनसे मुलाकात की। एक के पिता आये थे जिनकी शादी नहीं हुयी थी हमने उनके पिता से पूछा कि आपके लड़के की उम्र क्या थी ? तो उन्होंने कहा 28 वर्ष, हमने पूछा शादी नहीं हुयी थी तो कहा कि नहीं हुयी थी और बाकी सब महिलायें थी और महिलाये सब कम उम्र की थीं क्योंकि शराब पीकर मरने वाले भी कम उम्र के थे ज्यादातर एक दो अपवाद को छोड़कर। अब आप सोच लीजिये कि मेरे दिल पर क्या बीतती होगी, हमने इतने कठिनाईयों का सामना करते हुये ना जाने कितने लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं कितने लोग विरोध करते हैं हर प्रकार से नाना प्रकार से उसकी परवाह किये बगैर और लोग उदाहरण देते हैं कि सरकार को 5 हजार करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान हुआ है, उसकी परवाह किये बगैर शराबबंदी करने की हमसे जब पिछले साल महिलाओं ने आवाज लगायी पटना में शराब बंद करिये तो हमने वचन दे दिया था कि अगली बार आयेंगे तो शराब बंद करेंगे और आने के बाद हमने शराब बंद कर दिया। तो यह कितना महत्वपूर्ण काम है। हम एक बार पूरे बिहार में घूम-घूम करके कमिशनरी स्तर पर दीदीयों से मुलाकात कर चुके हैं और जब हम आये यहाँ और जहरीली शराब कांड यहाँ हुआ है तो हमने उसी समय कहा था कि कुछ दीदीयों को भी बुलाईये तो मैं अरविन्द चौधरी जी को और बाला मुरुगन डी को इस बात के लिये धन्यवाद देता हूँ कि आपने सब लोगों को आमंत्रित करके यहाँ बुलाया। हमने आप की भी बात सुनी लेकिन हम भी कुछ कहने आये हैं आपसे। कानून बहुत कड़ा बना दिया है हमने और जो दो अक्टूबर से लागू होने वाला है उसमें कोई बच के निकल नहीं पायेगा। अभी एक दीदी बोल रही थीं मुझसे कह दिया नीचे के लेवल पर जो भी कहा तुरंत हमने ए0डी0जी0 को कहा कि बात करिये और एक ने कहा कि भाई यह जो सापट ड्रिंक है यानी जो बाजार में बिकता है उसी के बोतल में शराब वगैरा बेचते हैं हमने तुरंत एस0पी0 को और डी0एम0 को सब लोगों को कहा कि इस बात को देख लीजिये और तत्काल कार्रवाई कीजिये, यह बात अपनी जगह पर है लेकिन यह तो दुनिया को मालूम है कि कानून तो बहुत कड़ा है, कोई किसी की हत्या करेगा तो उम्र कैद होती है या फांसी की सजा होती है फिर भी हत्या की घटना घटती है कि नहीं, तो सिर्फ कानून बनाने से अपराध रुक नहीं जाता है बल्कि कानून इस लिये बनता है कि अगर कोई अपराध करे तो उसको सजा मिल सके, दंडित किया जा सके। तो शराबबंदी के लिये जो कठोर कानून बनाया गया है वह इसलिये है कि इसके बावजूद अगर कोई इसका उल्लंघन करेगा तो उसको कठोर सजा दी जायेगी, लेकिन इन सब चीजों के बावजूद यह एक ऐसी चीज है, यह मनुष्य की प्रवृत्ति है बहुत लोग इसकी आदत के लत के शिकार होते हैं, उनको समझाना पड़ता है, हर प्रकार से प्रयास करना पड़ता है, अगर सिर्फ कानून के जरिये यह लागू हो जाये तो फिर आपको बुलाने की और आपसे बात करने की जरूरत नहीं है, मैंने पहले ही कहा कि आपकी आवाज पर हमने बंद किया है इसलिये अगर हमने लागू किया है तो यह आपका भी फर्ज बनता है, कर्तव्य बनता है कि इसके लिये एड़ी चोटी का पसीना एक करिये। अगर आपको मालूम हो गया कि किसी दूसरे बोतल में रख कर के दारू का धंधा कर रहा है इसके बारे में अगर ठीक से सूचना मिल गयी तो आप भी इतना सक्षम हैं कि उसको ठीक ढंग से पहले से सूँघ साँध लेकर समझ लीजियेगा और उसके बाद समूह में ले जाकर के उसको ध्वस्त करने में कोई रोके हुये है। हमने तो अपना आह्वान किया है कि जहाँ भी यह गड़बड़ धंधा कोई करे उसको नष्ट कर दीजिये सिर्फ भट्टी को ही नहीं अगर कोई बेचना चाहे तो जाकर के उसको घर कर के उसके बोतल को भी तोड़ दीजिये जो भी कर सकते हैं वह करिये अगर यह काम करियेगा तो कानून और प्रभावी ढंग से लागू होगा। हमलोग तो कार्रवाई करेंगे और बीच में जान लीजिये दो महीने के बाद यह जो बरसात का समय होता है जुलाई, अगस्त, सितम्बर एवं अक्टूबर उस समय मेरा ध्यान सर्वाधिक केन्द्रित रहता है बाढ़ पर, या कम वर्षा अगर कहीं होती है तो सूखे जैसी स्थिति उत्पन्न होगी तो उससे निपटने के लिये पूरी तैयारी में। हमारा सारा समय मुख्य रूप से उसमें जाता है। तो इस परिस्थिति का भी लाभ उठा कर

बहुत लोग सोच रहे होंगे कि अभी तो पूरे प्रशासन का सबका ध्यान बाढ़-सुखाड़ पर है तो इसी मौके का लाभ उठाकर थोड़ा धंधा कर लो, तो हम आपके बीच आये काहे के लिये हैं, अभी 15 अक्टूबर तक उधर ध्यान ज्यादा रहेगा। तो इस बीच में हमने सब को कह दिया है। अगर कोई गड़बड़ करेगा तो नौकरी से भी निकाला जायेगा और वह दण्ड का भागी भी बनेगा। इस लिये इन सब चीजों के बारे में जब निचले स्तर पर सूचना मिलती है तो तो तत्काल इसको आगे दीजिये। किसी ने कहा कि भाई हमने तो फोन कर दिया था तो मुख्य सचिव से आज ही बात हो गयी है चाहे पुलिस के नम्बर पर, चाहे एक्साईज विभाग के नम्बर पर किसी ने फोन किया है तो उस पर क्या कार्रवाई हुयी, कहाँ खबर गयी एक-एक चीज का विश्लेषण करके उसका भी देखा जायेगा। और अभी जो पुलिस मुख्यालय के अपर पुलिस महा निदेशक हैं सुनील कुमार जी ने अपने भाषण में बताया आपको पुलिस का एक नम्बर दिया और आप जान लीजिये कि पुलिस मुख्यालय में इस तरह का कन्ट्रोल रूम बनवा रहे हैं हम अब वह लगभग तैयार है कि अगर कोई व्यक्ति फोन करके सूचना देगा तो उसकी पूरी की पूरी बात रिकॉर्ड की जायेगी। उसको कोई मिटा नहीं सकता है और उसके बाद क्या कार्रवाई हुयी इसके बारे में भी पूरी जानकारी वहाँ रहेगी, उच्च पदाधिकारी नियमित रूप से सरकार को भी रिपोर्ट करेंगे हमको भी रिपोर्ट करेंगे कि कहाँ क्या खबर आयी और क्या कार्रवाई हुयी, खबर सही थी या गलत थी यह भी देखना उनका काम है, लेकिन जहाँ खबर सही थी वहाँ पर क्या कार्रवाई हुयी। किन को कार्रवाई करनी थी, नीचे के स्तर पर कुछ कोताही बरती गयी है, इन सब चीजों का पुख्ता इंतजाम करने का प्रयास किया जा रहा है, हम आपको जानकारी दे देना चाहते हैं, लेकिन इन सब चीजों के बाद अगर स्थानीय स्तर पर जानकारी मिलती है तो हम तो स्वयं सहायता समूह की दीदियों से कहेंगे ग्राम संगठन हैं, कलस्टर स्तर के संगठन हैं तुरंत आप सूचना दीजिये अपने विभिन्न स्तर के लोगों को आपलोग भी बैठिये सूचना तो दीजिये स्थानीय स्तर पर सूचना दीजिये थाना को, वह नहीं सुन रहा तो एस0पी0 को दीजिये, डी0एम0 को दीजिये वहाँ से अगर आपको लगे तो हमको भी दे सकते हैं, मेरे कार्यालय को भी सूचना दे सकते हैं। सूचना तो जरूर दीजिये लेकिन सिर्फ सूचना देने से काम नहीं चलेगा। सूचना अगर आप संतुष्ट हो गये कि ऐसा गड़बड़ चल रहा है तो सूचना तो दे दीजिये लेकिन साथ-साथ आप भी जरा पूरी तैयारी कर लीजिये, जब एक बार आप तैयारी कर लीजियेगा और दो सौ, चार सौ, पाँच सौ महिलायें संगठित होकर उनके सामने जाकर वहाँ पर कहेंगी बंद करो और उसको तोड़ने फोड़ने लगेगी तो क्या वह करेगा, अगर वह कुछ करेगा तो सबकुछ सामने आ जायेगा मैं आपको बताता हूँ। आप तो गांठ बांधकर रख लीजिये कि इसमें आप लोगो की भूमिका बहुत जरूरी है और बहुत महत्वपूर्ण है। सड़क पर चलियेगा तो जगह-जगह लिखा रहता है, जहाँ बहुत घुमावदा रास्ता होता है, पहाड़ पर जाते हैं तो वहाँ लिखा रहता है बोर्ड पर सड़क के किनारे कि सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। वही हम आपको कहने आये हैं, अगर आप अपनी सावधानी हटा देंगी तो दुर्घटना घट जायेगी क्योंकि मनुष्य की आदत है, आदत छूटने में वक्त लगता है, नहीं मिलता है, छूट गया है, बहुत लोगो ने प्रेम से छोड़ दिया है, प्रसन्न होकर छोड़ दिया है, लेकिन फिर भी कुछ लोग होंगे जिनको छोड़े नहीं बनता होगा, तो उनको जहाँ भी मिल जायेगा अब आप सोच लीजिये जो आज मैंने जहरीली शराब घटना के शिकार हुये हैं उनकी महिलाओं से भी हमने पूछा कि आपलोगों से मेरी पूरी संवेदना है इसलिये हम आपसे मिल रहे हैं और उनसे वसूली करते रहेंगे पहले सरकार की तरफ से आपको भुगतान कर दिया गया है इस राशि का सदुपयोग होना चाहिये, यह भी कह दिया। लेकिन हमने पूछा कि आपके पति पीते थे तो आपने कभी रोका, रोकना चाहिये अब देख लीजिये पीने की आदत क्या है। पीने के चक्कर में क्या पी लिये कि खुद चले गये। इस लिये समझ लीजिये मैंने घूम-घूम कर काम किये हैं। बहुत लोग आये हुये थे छपरा वाले सम्मेलन में। हमने क्या कहा था शराब मिलना बंद होगा तो हो सकता है कि कोई दूसरा चीज पीने लगे तो इसे भी सुनकर एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल नहीं देना। अगर इस कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देना था तो फिर पिछले साल माँग

क्यों किया हमसे। अगर मॉग किये हैं और लागू हुआ है, पूरी तरह से सरकार आपके साथ खड़ी है तो आपका भी कुछ कर्तव्य है, आपका भी कुछ दायित्व है। हम यही आप लोगों के साथ स्पष्ट तौर पर कहने आये हैं। आप अपनी सावधानी को मत त्यागिये सचेत रहिये और इसके लिये निरंतर प्रयास करना पड़ेगा, साल दो साल अगर थोड़ी भी ढिलाई होगी तो फिर इसमें कहीं न कहीं छेद लोग करने की कोशिश करेगा। क्योंकि मनुष्य हर प्रकार का होता है। कुदरत ने जो इंसान को गढ़ा है तरह-तरह के लोग पाये जाते हैं, अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं लेकिन अधिकांशतर लोग हैं जैसी परिस्थिति है उसी के हिसाब से अपने को ढालने में यकीन करते हैं। बहुत लोग जन्म से बहुत बुद्धिमान होते हैं और बहुत लोग जन्म से बिल्कुल मंद बुद्धि होते हैं, ऐसे अपवाद होते हैं अधिकांशतर लोग ऐसे होते हैं जिनको अगर परिस्थिति अच्छी मिली वातावरण अच्छा मिला तो अच्छा इंसान बनते हैं। वैसे लोगों को तो दुरुस्त रखना है। समाज में सब तरह के लोग हैं, विकृत मानसिकता के भी लोग हैं। अभी जब शराबबंदी लागू किया तो बहुत लोग मॉग कर रहे थे एक अप्रैल को ही पूरा लागू कर देंगे और जब 5 अप्रैल से पूरा लागू हो गया तो शराबबंदी के खिलाफ तरह-तरह की बात बोल रहे हैं। अगर कोई एक घटना घट जायेगी तो कहेंगे शराबबंदी फेल। जहरीली शराब की एक घटना हो गयी तो बहुत लोग लिखने लगे कि यह तो फेल कर गया भाई। यहाँ जब भी कहीं बोटल पकड़ाता है तो कहते हैं कि इतना पकड़ा रहा है इसका मतलब यह फेल हो गया। इसका मतलब यह फेल हो गया? और जब शराबबंदी नहीं थी बिहार में तो जहरीली शराब से मृत्यु नहीं हुयी थी मुजफ्फरपुर में ताड़ी में यूरिया मिला कर के पिया था, कितने लोग मरे थे? अभी दो महीने पहले यू0पी0 में तो शराबबंदी नहीं है कितने लोग मरे, गोपालगंज से भी ज्यादा लोग मरे थे। तो शराबबंदी के साथ जहरीली शराब से मौत जुड़ा हुआ नहीं है। हम आप से कहने आये हैं हम गरीबों के बीच ही काम करते हैं। आप लोग भी साधारण परिवार से आते हैं। कम से कम जिनका जीवन दुभर हो गया था अगर 200 रूपया कमा रहा था तो 150 रूपये शराब में फूँक दे रहा था उस परिवार की स्थिति अब जब सुधर रही है तो इस से संतुष्ट मत होइये बल्कि इसके लिये दृढ़ता पूर्वक डटे रहिये और देखिये कहीं कोई गड़बड़ करता है तो उसको दूर करने के लिये दुरुस्त करने के लिये भी कदम उठाईये। यह कहने से काम नहीं चलेगा कि हमलोग घूमते रहते हैं, पता नहीं चलता। नजर रखिये, पता चल जायेगा नहीं कैसे पता चल जायेगा, आदमी कोई पीकर रहेगा तो स्वभाव से नहीं पता चल जायेगा कि पिये हुये है कि नहीं पिये हुये है, अब यह तो पुराना कानून था तो उसमें प्रावधान नहीं था, लोग दूसरे जगह से पीकर आ जाता था। एक बार गया में पकड़ा गया, तो वह आदमी कहा कि हम तो बिहार में नहीं पिये हैं, बिहार में शराबबंद है, हम तो झारखण्ड में पिये हैं तो झारखण्ड में तो शराब बंद नहीं है तो कोई गुनाह नहीं है, इस तरह की बात आयी। मुजफ्फरपुर में एक जगह घर में शराब पकड़ा गया तो पुलिस पूछ रही थी, एक्साईज के लोग पूछ रहे थे कि शराब कहाँ से आया, कोई कह रहा है कि हम जानते ही नहीं हैं, एक जगह जानते थे तो नाबालिग बच्ची के बारे में कह दिया यही शराब लायी है। जरा सोचिये ऐसी भी मानसिकता होती है। नाबालिग बच्ची लायेगी शराब? इन्हीं अनुभवों के अधार हम लोगों ने कानून नये सिरे से बनाया, जो दो अक्टूबर से लागू हो जायेगा। अब चाहे जहाँ पीजिये यू0पी0 में पिये कि झारखण्ड में पिये कि नेपाल में पिये या बंगाल में पिये अगर बिहार में पिये हुये पकड़े जाईयेगा तो आपको सजा मिलेगी इसका प्रावधान अब हम लोगों ने कर दिया है। 2 अक्टूबर से तो कानून और सख्त होने जा रहा है, लेकिन मैं बार-बार कहता हूँ कि सिर्फ कानून की सख्ती से या कड़े कानून से इतना बड़ा परिवर्तन का काम नहीं हो सकता है। चूँकि यह स्वभाव परिवर्तन, दिल परिवर्तन की बात है। हम देखते हैं बहुत लोग जो पढ़े लिखे हैं, पैसे वाले हैं सभी नहीं उनमें से कुछ लोग अपवाद स्वरूप ज्यादातर लोग इसके हिमायती हैं स्त्री हों या पुरुष हों, पढ़े लिखे लोग भी खूब हिमायती हैं इसकी प्रशंसा करते हैं। लेकिन जो लोग शराबबंदी से आहत हैं वैसे लोग तरह-तरह की बातें लिखते हैं। तो हमने एक दिन मजाक किया कि अरे भाई इतना बड़ा काम हो रहा है, समाज में इतना बड़ा परिवर्तन आ रहा है। गाँव में चले जाईये शांति

का वातावरण है, जो झगड़ा झंझट और कोलाहल रहता था तो इस वातावरण को खराब मत करिये। और जो लत के शिकार हैं अपने को सुधारिये और अगर मन नहीं माने तो बिजली बंद कर दीजिये और फल का जूस अंधेरे में पी लीजिये और मन से सोचिये कि हमने पी लिया है। तो यह भी हमने कह दिया मजाक—मजाक में क्योंकि मेरा बड़ा मजाक उड़ाते थे। बहुत मजाक उड़ता है, उसका विरोध होता है। तो हमको स्वामी विवेकानन्द जी की वह उक्ति बहुत याद आती है जिन्होंने कहा कि जब कोई बड़ा काम करोगे तो पहले मजाब उड़ाया जायेगा, फिर उसका विरोध किया जायेगा और बाद में सबलोग साथ हो जायेंगे तो हम तो उस दिन के इंतेजार में हैं कि मजाक और विरोध के बाद सब लोग साथ हो जायें। इस लिये हम सब लोगों से विनम्र प्रार्थना करते हैं एक तो इस धंधा में जो काम करता है काहे के लिये फंसोगे 2 अक्टूबर के बाद और हमलोग भी बाढ़—सुखाड़ से निपट करके अक्टूबर से इसको कितना टाईट करेंगे समझ में आ रहा है, इसलिये इस धंधा में मत पड़िये। दो चार दिन तो पैसा कमा लीजियेगा और बाद में अन्दर जाईयेगा और इसमें तो नये कानून में बेल का प्रावधान ही खत्म कर दिया, जमानत ही नहीं होगा धराईयेगा तो अन्दर ही रहियेगा। सीधे एक बार ट्रायल होकर सजा ही होगी। तो इस तरह के अनेक कड़े प्रावधान किये गये हैं। लेकिन भाई मैं फिर चौथी बार कह रहा हूँ आपसे सिर्फ कानून से नहीं होगा, जन चेतना से होगा और आपसे जो जहरीली शराब पीकर मरने वाले के परिजनो से मिल कर मैं आया हूँ, मैं भारी मन से इस बात को कह रहा हूँ कि कृपा कर के आप लोग भी कुछ कीजिये। और यह अपील हम पूरा बिहार घूम—घूम कर कर चुके हैं। कम से कम एक लाख महिलाओं के साथ 9 जगहों पर सम्मेलन में कुल मिलाकर के आपसे संवाद हो चुका है। इसलिये अब आपलोग यह बताईये हम यह पूछने आये हैं कि इसके लिये निरंतर अभियान चलाईयेगा या नहीं चलाईयेगा? चलाना है तो हाथ उठाईये। तो हाथ उठा कर कह रही हैं तो छोड़ियेगा मत और भी बहुत काम आपलोग के जिम्मे दिया है। अब हाथ नीचे कर लीजिये। स्कूल वगैरा को भी देखना कि ठीक से हो रहा है कि नहीं। अब उसका रिपोर्ट आने लगा, कार्रवाई होगी। महिला समूहों को तो हम सशक्त बनाना चाहते हैं। समाज को बदलने में आपकी भूमिका है, हमारी ऐसी मान्यता है और अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाईयेगा, शहरों में भी समूहों के गठन की शुरुआत हो चुकी है लेकिन यह जो जहरीली शराब की शिकार हुयी हैं उसमें तीन चार महिलायें भी हैं। गाँव से आकर उनके पति यहाँ बस गये हैं। तो कृपा करके आपलोग वैसी महिलाओं को अपने समूह के साथ जोड़कर उनके स्वरोजगार के लिये भी उनको प्रेरित करियेगा यह हम आपसे आग्रह करेंगे और आपको आज बुलाने का मतलब यही है। बहुत लोग हैं, हर स्तर पर सक्रीय रहना पड़ेगा। सरकार पूरे तौर पर साथ है। समूह को बढ़ावा देने के लिये साथ है। आप लोगों को जो राशि मिलती थी, उसको बढ़ाने का हमलोगों ने निर्णय लिया। तो हम यह सब काम कर रहे हैं। सरकार अपने खजाने से समूहों को संगठित कर रही है। उनको आगे बढ़ाने के लिये अपना कदम उठा रही है। तो आपसे यही एकमात्र प्रार्थना है कि आप भी अपना काम पूरी बुलंदी से करिये और इस जिले में जैसा कि हमारे मुख्य सचिव ने कहा कि सीमावर्ती जिले को और चौकसी की जरूरत है। क्योंकि यह जिला सीमावर्ती जिला है तो आप लोगों से मुझे पूरी उम्मीद है कि यह काम आपलोग कर पाईयेगा। और सरकार की तरफ से कड़ाई—सख्ती में भी कोई कमी नहीं आयेगी लेकिन साथ—साथ जिस तरह से एक अप्रैल के पहले जिस तरह जन जागृति के लिये बहुत बड़ा अभियान निकला मैं समझता हूँ कि इस बार पुनः अंजनी बाबू मुख्य सचिव जी से मैं कहूँगा कि एक बार फिर बरसात के बाद एक सशक्त अभियान गाँव एवं शहर में शराबबंदी के पक्ष में कराईये ताकि यह वातावरण और मजबूत हो सके। इतना ही कहते हुये मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ। लेकिन जब हम कल से निकले हैं आपको मालूम है जम्मू—कश्मीर में आतंकी हमले से हमारे अबतक की सूचना के मुताबिक 17 जवान शहीद हुये हैं। आतंकियों ने हमला कर दिया है और उसमें हमारे 17 जवान शहीद हुये हैं। हम सबलोग इस बात से दुखी हैं लेकिन जो हमारे जवान शहीद हुये हैं उनकी शहादत को यह देश भूल नहीं पायेगा और आतंकियों से

निपटने के लिये हम सब लोगों को एकजुट होकर काम करना पड़ेगा। आतंकवादी गतिविधियों से लड़ने के लिये एकजुट होना होगा। आपसी आरोप प्रत्यारोप से नहीं बल्कि एकजुटता जरूरी है और केन्द्र सरकार इस मामले में जो कदम उठाये उसका हम समर्थन करते हैं और पूरी मजबूती के साथ पूरी एकजुटता के साथ आतंकवाद का मुकाबला करना पड़ेगा और यह जानते हैं जिस तरह से आतंकवादी हमला होता है अपने शरीर में बम बॉध लेते हैं, लोगों को मारने के बाद उसको एहसास है कि हम मारे जायेंगे अपने शरीर पर भी बम बॉधे रहते हैं। तो ऐसे तत्वों से निपटना है तो एकजुटता से निपटना होगा और यह लोग जो शहीद हुये हैं उसमें हमारे बिहार के भी तीन निवासी थे जो जवान थे वह भी शहीद हुये हैं। एक हैं भोजपुर जिले के, एक हैं गया जिले के, एक हैं कैमूर जिले के। अबतक जो सारी सूचनायें मिली हैं उसके आधार पर। तो हमलोगों ने वहाँ के अपने मंत्रियों को भी भेज दिया हैं वहाँ कि उनके गाँव पर जायें जिला प्रशासन और सब जब उनका पार्थिव शरीर आयेगा बनारस से आयेगा या पटना से आयेगा जैसे भी होगा अंतिम तौर पर अभी तक उसके बारे में स्पष्टता नहीं थी। जब भी आयेगा और जब अपने गाँव ले जायेंगे तो पूरे सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर मंत्री भी रहेंगे, पूरा जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन भी रहेगा और जिला प्रशासन के द्वारा पूरे पुलिस सम्मान के साथ अंतिक संस्कार किया जायेगा और यही नहीं बिहार सरकार की तरफ से वह हमारे सेना के जवान हैं इसलिये केन्द्र सरकार की तरफ से उनके परिजनों को जो सहायता दी जाती है वह दी ही जायेगी उसके अलावे राज्य सरकार की तरफ से भी इन शहीद परिवार के उनके परिजनों को पाँच-पाँच लाख रूपये का अनुग्रह अनुदान प्रदान करेंगे और हम सब लोग एकजुट होकर इस घटना की निन्दा करते हैं और ऐसे मामलों में एकजुट होकर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिये और हमारे जवान शहीद हुये हैं देश के जवान हैं, शहीद हैं उनके इस बलिदान को कोई भूल नहीं सकता है। इस लिये हम आज सब दीदियों से भी आग्रह करेंगे कि दिवंगत आत्माओं की चिर शांति के लिये और अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिये हम एक मिनट का मौन धारण करें खड़े होकर।

धन्यवाद।